

FORM No. III

App-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

लत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रावतभाटा

कंचन बाई

बनाम

प्रेमलता

दमा

प्रायता - पत्र

नं.

३२

सन्

२०१९

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
<p>30/10/19 फावली पेश हुई। अधिवक्ता उच्चपक्ष उपस्थित। बच्च युमी गई। फावली से दस्तावेजों का अवलोकन मिया। अधिवक्ता अपापी द्वारा प्रायता-पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. का पेश मिया। जिसकी प्रति अधिवक्ता अपापी को फिलाई गई। प्रा-पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. श्वारिज मिया जाता है। फावली से अस्वाइ विवेद्याज से पाबंद मिया जाना भी उचित नहीं है। प्रायता-पत्र श्वारिज मिया जाता है। फावली फौजदारी सुमार होकर नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;">S.D.O.</p>	

